न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

...10	तारीख दायरा	तारीख फैसला
.../2023	08.06.2023	24.12.2024

पीठासीन अधिकारी–दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– कुंज बिहारी आत्मज राजमल जी जाति माली
2– गायत्री बाई पत्नी राजमल जी जाति माली
3– दुलारी पुत्री राजमल जी जाति माली
4– रेखा पुत्री राजमल जी जाति माली
5– ललिता पुत्री राजमल जी जाति माली निवासीगण सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादीगण)

बनाम

1– मांगीबाई उर्फ मन्जू बाई पुत्री कन्हैयालाल जाति माली
2– मांगीलाल बात्मज कन्हैयालाल जाति माली
3– हेमराज आत्मज कन्हैयालाल जाति माली
निवासीगण सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
4– राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से – श्री ओमप्रकाश सोनी एडवोकेट
प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से – श्री भारत शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादी क्रम 2 व 3 की ओर से– श्री अनिल खण्डेलवाल एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि

1– यह कि ग्राम सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता नम्बर नया 230 व पुराना 178 के खसरा नम्बर 157 की 0.72 हेक्टर, खसरा नम्बर 222 की 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 246 की 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 278 की 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 285 की 0.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 287 की 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 290 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 44 की 3.26 हेक्टर, खसरा नम्बर 692 की 0.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 83 उत्तर की 0.45 हेक्टर कुल 10 किता की 5.38 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 संलग्न है।

2– यह कि उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादीगण प्रत्येक का 449/8070 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 1

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
(एस० डी० एम०) दीगोद

हिस्सा, प्रतिवादी नं0 2 व 3 का 449/1614— 449/1614 हिस्सा दर्ज हि
...गण अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है।
यह कि उपरोक्त वाद पत्र की मद नलं0 1 में वर्णित भूमियों में वादीगण का
...9/8070 हिस्सा है ओर अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है।
उपरोक्त भूमि शामलती खाते में दर्ज होने के कारण आये दिन वादीगण व प्रतिवादीगण के
मध्य कडता लगान जमा कराने में विवाद व झगडा होने लग गया है। इस कारण वादीगण
ने प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 से उपरोक्त भूमि का विभाजन कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण
ने मना कर दिया।

4— यह कि प्रतिवादीगण एक राय होकर आये दिन वादीगण के 2249/8070 हिस्से के कब्जे में दखल पैदा करते है ओर बंटवारा की कहने पर बंटवारा कराने से इन्कार कर दिया तथा दिनांक 15.05.2023 का प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से व कब्जे की भूमि पर आये ओर वादीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत पैदा की तथा आयन्दा भूमि की हंकाई करने से इन्कार कर दिया कहा कि वे स्वंय की भूमि की हंकाई करेगें तथा यह भी कहा कि वे बिना बंटवारा कराये ही उपरोक्त भूमि के हिस्से को बेचान व खुर्द बुर्द कर देगे। जबकि प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 को बिना बंटवारा कराये उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने व वादीगण के 2249/8070 हिस्से की कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

5— यह कि वादीगण उपरोक्त भूमि के 2249/8070 हिस्से के खातेदार है। इस कारण वादीगण के लिये उपरोक्त भूमि का विभाजन कराना व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से उक्त अवैध कृत्य करने से रोका जाना आवश्यक हो गया है। जिस हेतु यह वाद पेश है।

6— यह कि वाद कारण प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 द्वारा वादीगण को बंटवारा करने से इन्कार करने व वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने व आयन्दा भूमि की हंकाई करने से इन्कार कराने तथा बिना बंटवारा कराये दिनांक 15.05.2023 को भूमि को खुर्द बुर्द करने की धमकी देने पर पैदा हुआ।

अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे:—

(1) कि ग्राम सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता नम्बर नया 230 व पुराना 178 के खसरा नम्बर 157 की 0.72 हेक्टर, खसरा नम्बर 222 की 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 246 की 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 278 की 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 285 की 0.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 287 की 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 290 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 44 की 3.26 हेक्टर, खसरा नम्बर 692 की 0.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 83 उत्तर की 0.45 हेक्टर कुल 10 किता की 5.38 हेक्टर भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जाकर वादीगण के 2249/8070 हिस्से की भूमि को अलग खाते दर्ज किये जाने व अलग से लगान कायम किये जाने की डिक्री पारित की जावे।

(2) कि ग्राम सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता नम्बर नया 230 व पुराना 178 के खसरा नम्बर 157 की 0.72 हेक्टर, खसरा नम्बर 222 की 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 246 की 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 278 की 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 285 की 0.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 287 की 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 290 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 44 की 3.26 हेक्टर, खसरा नम्बर 692 की 0.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 83 उत्तर की 0.45 हेक्टर कुल 10 किता की 5.38 हेक्टर भूमि में से 2249/8070 हिस्से की भूमि के कब्जे

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद जिला कोटा (राज.)

फोटो प्रति प्रमाणित

...किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करें, काश्त करने से नहीं रोके ... भूमि अथवा उसके किसी भाग को बिना विभाजन कराये खुर्द बुर्द व बेचान तथा ...ण नहीं करें।

...गण की ओर से निम्न राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किये जो संलग्न है:-

नकल जमाबन्दी ग्राम सीमलिया खाता सं0 230 सम्वत 2075-78

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादीग क्रम 1 की ओर से श्री भारत शर्मा एडवोकेट तथा प्रतिवादी क्रम 2 व 3 की ओर से श्री अनिल खण्डेलवाल एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में हिस्से एवं कब्जे काश्त अनुसार विभाजन करने हेतु सहमति दी गई। जेरकार प्रकरण में न्यायालय से दिनांक 25.06.2024 को उभय पक्षकारान को सुना जाकर प्राथमिक निर्णय-डिक्री जारी की गई। उक्त जारी निर्णय-डिक्री पर तहसीलदार दीगोद की ओर से पत्रांक भू0अ0/24/3491 दिनांक 10.07.2024 से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर न्यायालय में पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की मौका रिर्पोट अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जो शामिल फाईल किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 2 व 3 द्वारा सहमति दी गई। एवं प्रतिवादी नं0 1 के द्वारा आपत्ति पेश करते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र की नकल वादीगण के अधिवक्ता को दिलवायी गयी। जेरकार प्रकरण में दिनांक 25.06.2024 को जारी प्राथमिक निर्णय-डिक्री के विरूद्व अपीलीय न्यायालय में किसी प्रकार की अपील प्रस्तुत नहीं की गई। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर प्रतिवादी क्रम 1 के अधिवक्ता की आपत्ति खारिज की जाती है तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार प्रस्तुत होने पर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अंतिम निर्णय-डिक्री जारी की जाती है।

जेरकार प्रकरण में तहसीलदार दीगोद की ओर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय संलग्न नजरी नक्शा निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया:-

क्रम सं0	खातेदार का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं0	रकबा (हे0में)	किस्म
1	हेमराज पुत्र कन्हैयालाल जाति माली सा0 देह खातेदार	सीमलिया	44 157 278 3 किता	1.08 दक्षिण 0.36 दक्षिण 0.03 पश्चिम 1.47 हे0	नहरी द्वि. बारानी द्वि. चाही प्रथम
2-	मंगीलाल पुत्र कन्हैयालाल माली सा0देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी शाखा सीमलिया,	सीमलिया	44 83 2 किता	1.05 मध्य 0.45 1.50 हे0	नहरी द्वि. बारानी द्वि.

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद जिला कोटा (राज०)

(एस० डी० एम०...)

	...री 1/5 ललिता ... रेखा 1/5 दुलारी .../5 पिता राजमल, गायत्री बाई पत्नि स्व0 राजमल 1/5 जाति माली सा0 देह खातेदार	सीमलिया	44 157 278 3 किता	1.08 उत्तरी 0.36 उत्तरी 0.03 पूर्वी 1.47 है0	नहरी द्वि. बारानी द्वि. चाही प्रथम
4	मांगीबाई उर्फ मंजू बाई पुत्री कन्हैयालाल माली सा0 देह	सीमलिया	222 246 285 287 290 692 6 किता	0.06 0.02 0.35 0.10 0.04 0.32 0.89 है0	चाही प्रथम चाही प्रथम चाही प्रथम चाही प्रथम चाही प्रथम बारानी द्वितीय
5	हेमराज पुत्र कन्हैयालाल 3/5 कुंजबिहारी 2/25 रेखा 2/25 दुलारी 2/25 ललिता 2/25 पिता राजमल, गायत्री बाई पत्नि स्व0 राजमल 2/25 जाति माली सा0 देह खातेदार	सीमलिया	44	0.05 गेमु. रास्ता	उत्तर पर्वी

प्रकरण में तहसीलदार तहसील दीगोद की ओर से प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर आदेशिका अनुसार वादीगण के अधिवक्ता ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया एव प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने आदेशिका पर विभाजन प्रस्ताव से सहमत नहीं होने की आपत्ति पेश की। आपत्ति पर उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया। तहसीलदार दीगोद से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजय किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः दिनांक 23.07.2024 को प्रतिवादी कम 1 के अधिवक्ताओं द्वारा की गई आपत्ति को अस्वीकार करते हुए तहसीलदार दीगोद से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 10.07.2024 को स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम निर्णय एवं डिकी जारी की जाती है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक पारित निर्णय–डिकी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। रहन यथावत रहेगा। तदनुसार डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को सरे इजलासा सुनाया गया।

फोटो ... ...ाणित

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

मूल वाद में अंतिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारी—दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1— कुंज बिहारी आत्मज राजमल जी जाति माली
2— गायत्री बाई पत्नी राजमल जी जाति माली
3— दुलारी पुत्री राजमल जी जाति माली
4— रेखा पुत्री राजमल जी जाति माली
5— ललिता पुत्री राजमल जी जाति माली निवासीगण सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादीगण)

बनाम

1— मांगीबाई उर्फ मन्जू बाई पुत्री कन्हैयालाल जाति माली
2— मांगीलाल बात्मज कन्हैयालाल जाति माली
3— हेमराज आत्मज कन्हैयालाल जाति माली
निवासीगण सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
4— राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से — श्री ओमप्रकाश सोनी एडवोकेट
प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से — श्री भारत शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादी क्रम 2 व 3 की ओर से— श्री अनिल खण्डेलवाल एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

मिसल नं 32 / 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि — : तहसीलदार दीगोद से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादीगण का वाद पत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार दीगोद से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 10.07.2024 को स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार किया जाता है। पक्षकारान के मध्य विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

क्रम सं0	खातेदार का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं0	रकबा (हे0में)	किस्म
1	हेमराज पुत्र कन्हैयालाल जाति माली सा0 देह खातेदार	सीमलिया	44 157 278 3 किता	1.08 दक्षिण 0.36 दक्षिण 0.03 पश्चिम 1.47 हे0	नहरी द्वि. बारानी द्वि. चाही प्रथम

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

कॉपी ... प्रमाणित
... (एस0 डी0 ...)

	...ल पुत्र कन्हैयालाल ...ी सा0 देह खातेदार रहन ...ीआरकेजीबी शाखा सीमलिया,	सीमलिया	44 83 2 किता	1.05 मध्य 0.45 1.50 हे0	नहरी द्वि. बारानी द्वि.
3	कुंजबिहारी 1/5 ललिता 1/5 रेखा 1/5 दुलारी 1/5 पिता राजमल, गायत्री बाई पत्नि स्व0 राजमल 1/5 जाति माली सा0 देह खातेदार	सीमलिया	44 157 278 3 किता	1.08 उत्तरी 0.36 उत्तरी 0.03 पूर्वी 1.47 है0	नहरी द्वि. बारानी द्वि. चाही प्रथम
4	मांगीबाई उर्फ मंजू बाई पुत्री कन्हैयालाल माली सा0 देह	सीमलिया	222 246 285 287 290 692 6 किता	0.06 0.02 0.35 0.10 0.04 0.32 0.89 है0	चाही प्रथम चाही प्रथम चाही प्रथम चाही प्रथम चाही प्रथम बारानी द्वितीय
5	हेमराज पुत्र कन्हैयालाल 3/5 कुंजबिहारी 2/25 रेखा 2/25 दुलारी 2/25 ललिता 2/25 पिता राजमल, गायत्री बाई पत्नि स्व0 राजमल 2/25 जाति माली सा0 देह खातेदार	सीमलिया	44	0.05 गेमु. रास्ता	उत्तर पूर्वी

अतः प्राप्त बिभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम निर्णय एवं डिकी जारी की जाती है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक अंतिम निर्णय–डिकी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। रहन यथावत रहेगा। तदनुसार डिकी जारी की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

फोटो ... प्रमाणित
उपखण्ड अधिकारी
...

...स्तखत व मोहर से आज दिनांक 28.11.2024 को डिक्री जारी किया गया।

...स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
[illegible]	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

फोटो प्रति प्रमाणित

उपखण्ड अधिकारी
एस० डी० एम० दीगोद